संख्या -70 /2025/563 पू0वि0नि0/35-1-2025

प्रेषक,

शैलेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बलिया

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च,2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद बलिया की 17 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 379/पू0वि0नि0(राज्यांश)/लै0धन0मांग/2024-25, दिनांक 07.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासन के शासनादेश संख्या 18/2024/पु०वि०नि0 421/ 35-1-2023 दिनांक 04 जनवरी, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद बलिया की 27 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाओं की लैप्स हुयी धनराशि रू0 107357000.00 (रू० दस करोड़ तिहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र) का वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया के अभुगतान प्रमाण-पत्र एवं अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराते हुये वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि पुन: अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है निम्नांकित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कालम संख्या-5 में अंकित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति कालम संख्या-3 में अंकित शासनादेश द्वारा पूर्व में प्रदान की गई थी। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं दी गयी संस्तुति के दृष्टिगत निम्नांकित तालिका के कालम संख्या-2 में अंकित परियोजनाओं के चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन हेतु अगली किश्त के रूप में परियोजनाओं के सापेक्ष कालम संख्या-9 में अंकित कुल रू0-1073.57लाख (रू० दस करोड़ तिहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र0	परियोजना का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई कि0मी0 में	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	मांगी गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रघुनाथपुर टकरसन मार्ग से सोनाडाबर हरिजन बस्ती हरिजन बस्ती होते हुए अमृतपाली रेलवे क्रासिंग के पास तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	शा0सं0-7/2022/ आई0/130545/2022 , दिनांक 07.01.2022	4.300	315.24	31.52	0.28	283.44	283.44
2	बैरिया सोनवानी नीरूपुर मार्ग से मठिया तक मार्ग का निर्माण का कार्य।	शा0सं0-7/2022/ आई0/130545/2022 , दिनांक 07.01.2022	1.500	85.72	8.57	0.15	77.00	77.00
3	पी0 डब्लू0 डी0 मुख्य मार्ग से विजय सिंह के खेत होते हुए नजरूद्दीन के ट्यूबवेल तक मार्ग के निर्माण।	तदैव	1.200	70.45	7.04	0.12	63.29	63.29
4	उमाकेरी के खेत से रामपुर तक मार्ग के निर्माण कार्य।	तदैव	1.600	93.03	9.30	0.15	83.58	83.58

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5	नीरूपुर से पुरास तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	तदैव	1.600	91.27	9.12	0.18	81.97	81.97
6	मनियर बघौता पी0डब्लू0डी0 मार्ग से मैरीटार राजभर बस्ती तक निर्माण कार्य।	तदैव	1.500	85.38	8.53	0.15	76.70	76.70
7	बीबीपुर नसीरपुर मार्ग से पलिगरा होते हुए अख्तियारपुर सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	शा0सं0-7/2022/ आई0/130545/2022 दिनांक 07.01.2022	1.3	94.69	59.46	0.39	34.84	34.84
8	रसूलपुर मस्जिद से लखनी तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	तदैव	1.10	65.68	6.56	4.68	54.44	54.44
9	मैरीटार भर बस्ती से बिसावलपुर होते हुए सुखपुरा बांसडीह मुख्य मार्ग तक निर्माण कार्य।	तदैव	1.5	85.37	8.53	6.04	70.80	70.80
10	विशुनपुरा माइनर से लारपुर में जितेन्द्र सिंह के घर होते हुए रामजन्म राजभर के घर तक मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	तदैव	1.2	117.78	70.66	0.10	47.02	47.02
11	गुरवां से करनई मार्ग का लेपन का कार्य एवं 5 नं0 600 एम0एम0 डाया ब्लूम पाइप पुलिया सहित निर्माण कार्य।	117/2016/383/23-14-19-245-आ0पू0वि0नि0/2015 ,दिनांक- 15.09.2016	2.8	122.03	99.81	0.28	21.94	21.94
12	शाहपुर प्रा0पा0 के बगल से बारा बांध सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	शा0सं0-7/2022/ आई0/130545/2022 दिनांक 07.01.2022	1.5	86.07	58.60	0.07	27.40	27.40
13	अलावलपुर से रजवाड़ नरजनी सम्पर्क मार्ग का लेपन का कार्य।	163/2021/487/23-14-2021-08आ0पू0वि0नि0/2020,दिनांक- 25.03.2021	1.2	63.57	56.35	0.10	7.12	7.12
14	गड़वार सुखपुरा मार्ग पर पेट्रोल पम्प आगे बैजनाथ यादव के घर होते हुये बलिया गड़वार मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	163/2021/487/23-14-2021-08 आ0पू0वि0नि0/2020 ,दिनांक- 25.03.2021	1.30	70.00	57.00	0.19	12.81	12.81
15	रतसड़ नूरपुर मार्ग से भैरोबांध सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया का नव निर्माण कार्य।	122/2019/234/23-14-2019-06आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक- 10.03.2019	1.00	69.19	29.67	0.58	38.94	38.94
16	परसिया प्राथमिक विद्यालय से बरवा प्राथमिक विद्यालय होते हुए बरवां सिवान तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	शा0सं0-7/2022/ आई0/130545/2022 दिनांक 07.01.2022	2.00	147.26	88.35	0.12	58.79	58.79
17	रतसड़ एकड़ल मार्ग से पृथ्वी बांध योगेन्द्र प्रधान के घर होते हुए छतवा तक मार्ग का निर्माण कार्य	163/2021/487/23-14-2021-08 आ0पू0वि0नि0/ 2020 दिनांक 25.03.2021	1.40	93.17	59.31	0.37	33.49	33.49
		योग	**28.00**	**1755.90**	**668.38**	**13.95**	**1073.57**	**1073.57**

(रू० दस करोड़ तिहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. जिलाधिकारी बलिया द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग करने से पूर्व में किये गये कार्यों का सत्यापन फोटोग्राफ के साथ करा लिया जायेगा।
2. यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा
3. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढ़ंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरूपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।
5. आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।
6. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
8. परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।
9. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
10. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।
11. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।
12. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।
13. स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2025 तक अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
14. परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियें के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

15. मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
16. परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
17. नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या– 10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0 पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
19. उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।
20. विषयकगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश की नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।
21. वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-18/2024/पु०वि०नि0 421/ 35-1-2023 दिनांक 04 जनवरी, 2024 द्वारा 27 परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि रू0-2345.48लाख(रू0 तेईस करोड़ पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)में से रू0-1073.57लाख (रू० दस करोड़ तिहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि, जिसको मुख्य विकास अधिकारी, बलिया के पत्र संख्या-379/पू0वि0नि0(राज्यांश)/लै0धन0मांग/2024-25, दिनांक 07.05.2024 द्वारा लैप्स होना इंगित किया गया है, के संबंध में नियमानुसार ट्रेजरी प्रमाण-पत्र की यथा सूचना वित्त विभाग को एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या–40 के लेखा शीर्षक 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय 03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापसंख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024,दिनांक 04 मार्च, 2024में प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
शैलेश कुमार तिवारी
उप सचिव।

संख्या - 70/2025 / 563 (1)पू0वि0नि0/35-1-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय,उ0प्र0,प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, आजमगढ मण्डल।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. जिलाधिकारी, बलिया।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलिया।
12. अधिशासी अभियन्ता, निमार्ण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
शैलेश कुमार तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।